

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- प1 § 1 § कार्मिक/नि.चि./31/06/ 349


दिनांक :- 8/5/06

- :: कार्यालय आदेश :: -

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निधीरेत सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है :-

- 1- जयपुर डेन्टल हॉस्पिटल एण्ड पोली क्लिनिक कम ओर्थोपिडिक सेन्टर, न्यू कॉलोनी पॉचबत्ती के पास, जयपुर।
- 2- जयपुर हॉस्पिटल, लालकोठी, जयपुर।
- 3- एस.आर.कल्ला मेमोरियल गेस्ट्रे एण्ड जनरल हॉस्पिटल, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
- 4- गिरधर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मालवीय नगर, जयपुर।
- 5- हॉली फ़ैमेली हॉस्पिटल, राजापार्क, जयपुर।
- 6- एन.के.डेन्टल हॉस्पिटल, लालकोठी, जयपुर।
- 7- डॉ. चौधरी हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टर, प्रा.लि., हिरनमगरी, उदयपुर।

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।


सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अभिन्न कार्यवाही हेतु :-

- 1- प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राज.आ.म., जयपुर।
- 2- व.नि.स.-सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मुख्य अभियन्ता-----राज.आ.म., जयपुर।
- 4- उप-आवासन आयुक्त, वृत-----राज.आ.म-----
- 5- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-----राज.आ.म.-----
- 6- समस्त प्रकोष्ठ § मुख्यालय § -----रा.आ.म.जयपुर।
- 7- संबंधित चिकित्सालय-----
- 8- नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।


सचिव